न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—291/2015/223 (2015/00145)

1. भंवरलाल पुत्र पेमा,
2. हनुमान पुत्र धन्ना,
समस्त जाति माली, निवासी छावनी ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गोविन्द दास,
2. श्यामसुन्दर,
पुत्रगण कन्हैयालाल,
3. महेन्द्र,
4. गोपाल,
पुत्रगण घनश्यामदास,
5. श्रीमती कैलाश देवी बेवा घनश्यामदास,
6. श्रीममती अन्नपूर्णा बेवा कन्हैयालाल **(मृतक) नाम तर्क**
7. रामचन्द्र,
8. नौरतमल,
9. बाबूलाल,
पुत्रगण पूना,
10. श्रीमती गेंदी बेवा पूना, **(मृतक) नाम तर्क**
समस्त जाति माली, निवासी छावनी ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 30.9.2000 अंतर्गत वाद संख्या 123/1996.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पी0गण्डेविया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 10 अनुपस्थित ।

(1) अपील संख्याः—292/2015/223 (2015/00146)

1. भंवरलाल पुत्र पेमा,
2. हनुमान पुत्र धन्ना,
समस्त जाति माली, निवासी छावनी ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गोविन्द दास,
2. श्यामसुन्दर,

पुत्रगण कन्हैयालाल,
3. महेन्द्र,
4. गोपाल,
पुत्रगण घनश्यामदास,
5. श्रीमती कैलाश देवी बेवा घनश्यामदास,
6. श्रीममती अन्नपूर्णा बेवा कन्हैयालाल **(मृतक) नाम तर्क**
7. रामचन्द्र,
8. नौरतमल,
9. बाबूलाल,
पुत्रगण पूना,
10. श्रीमती गेंदी बेवा पूना, **(मृतक) नाम तर्क**
समस्त जाति माली, निवासी छावनी ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 30.9.2000 अंतर्गत वाद संख्या 65/1995.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पी0गण्डेविया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 10 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 11.

निर्णय

दिनांकः– 27.9.2019

1. यह दोनों अपीले विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 30.9.2000 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पृथक–पृथक प्रस्तुत हुई है ।
2. दोनों अपीलों में पक्षकारान, विवादित आराजियात एवं विवाद बिन्दू समान होने से तथा दोनों अपीले में एक ही निर्णय के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे।
3. दोनों अपीलों के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या–1 से 6/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद संख्या–65/1995 घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलांटस व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध ग्राम शोभापुरा स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 137, 165 व 166 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया । इसी प्रकार एक अन्य वाद संख्या–123/1996 अपीलांटस द्वारा इसी विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 व 92–ए के तहत रेस्पो0 संख्या–1 से 6 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 09–09–1997 से दोनों वाद को सम्मिलित करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ने दोनों वादों में संयुक्त तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपरान्त बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–09–2000 से वाद संख्या

65/1995 को डिक्री किया तथा वाद संख्या 123/1996 को खारिज कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह दोनों अपीलें हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 19–06–2001 से आंशिक स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए विवादित आराजी को मकबूजा मालकान होने से सिवाय चक घोषित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध तीन अपीले राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिन्हें राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–06–2015 से स्वीकार की जाकर प्रकरण हाजा न्यायालय को गुणागुण पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत मान0 मण्डल के निर्णय की अनुपालना में दोनों अपीलों को हाजा न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 4 के पिता पूना विवादित आराजी पर पिछले 45 वर्षो से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे थे, इसी कारण खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से लगातार उनकी काश्त दर्ज चलती रही ओर शिकमी काश्तकार होने के आधार पर वे बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदार दर्ज हो गये, जिनसे विवादित आराजी अपीलार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की गयी है, जिस पर क्रय की दिनांक से अपीलांटस काबिज काश्त है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत वाद में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पंजीकृत विक्रयपत्र को शून्य घोषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। प्रतिवादीगण संख्या–7 से 10 के पूर्वज राजस्थान जागीर अधिनियम, 1952 की धारा 10 के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय विवादित आराजी पर काश्तकार दर्ज होने के कारण स्वतः खातेदार हो चुके थे और उनके द्वारा किया गया बैचान पूर्णतयाः विधि मान्य था। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 1987 आरआरडी पेज 97, 1997 आरआरडी पेज 399 एवं 1983 आरआरडी पेज 676 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनके पक्षकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित कर दिया गया था कि विवादित आराजी उनके पूर्वज कन्हैयालाल की खातेदारी में दर्ज थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आदेश अथवा दस्तावेज के पूना के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। बहस में आगे कथन किया कि पूना के नाम के जो इन्द्राजात राजस्व अभिलेख में है, वे उसे कन्हैयालाल द्वारा भूमि काश्त हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में है और इस प्रकार के इन्द्राजात से कन्हैयालाल की खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि कन्हैयालाल की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् भी यथावत थी, ऐसी स्थिति में पूना जमीदारी बिस्वेदारी अधिग्रहण अथवा जागीर अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम नहीं था। क्योंकि पूना को दी गयी खातेदारी प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं अनियमित थी, ऐसी स्थिति उसके द्वारा किया गया बैचान स्वतः ही निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य एवं

विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

7. प्रस्तुत दोनों अपीलों में हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्नानुसार है–

1– क्या विवादित आराजी वादीगण के पिता कन्हैयालाल की खातेदारी में अंकित थी और भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से पूना के नाम अंकित की गयी ?

2– क्या पूना के वारिसों द्वारा किया गया बैचान को प्रतिवादी संख्या–1 से 6 के विरूद्ध प्रभाव शून्य घोषित करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है ?

8. बिन्दू संख्याः– 1 – विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 में विवादित आराजी का कन्हैयालाल खातेदार दर्ज है तथा नौला पुत्र पूना घोसी मुद्धत एक साल उपकृषक दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में भी कन्हैयालाल पुत्र पोलू राम खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 20 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 29 के इन्द्राजात भी उपरोक्तानुसार ही है। भू–संशोधन खसरा परिशोधन की क्रम संख्या–3 में उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 165 व 166 कन्हैयालाल पुत्र पोलूराम की जगह उसके वारिसान के नाम आये, लेकिन इन सब के बावजूद वर्किंग जमाबन्दी में विवादित आराजी पूना पुत्र नौला माली के नाम दर्ज कर दी गयी। भू–शोधन एवं वर्किंग जमाबन्दी में यह इन्द्राजात किस आधार पर परिवर्तित किये गये, इस परिवर्तन का कोई आधार राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं किया गया और ना ही अपीलार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रकट हो कि कन्हैयालाल द्वारा बैचान किये जाने अथवा किसी न्यायालय के समक्ष आदेश के आधार पर यह परिवर्तन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया हो। यह स्थापित विधिक स्थिति है कि भू–प्रबन्ध अथवा भू–शोधन विभाग को खातेदार के इन्द्राज में परिवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट है कि कन्हैयालाल विवादित भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् तक खातेदार अंकित रहा है, और भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उसकी खातेदारी की आराजी को बिना किसी आदेश के परिवर्तित करने हुए पुना के नाम विवादित आराजी अंकित की गयी है, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से पुनः कन्हैयालाल के वारिसान के नाम अंकित किये जाने की डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि ये न्यायिक दृष्टान्त जमीदारी बिश्वेदारी अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधानों बाबत् है जबकि वर्तमान प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् भी विवादित आराजी कन्हैयालाल की खातेदारी में रही है।

9. बिन्दू संख्या–2 – जैसा कि बिन्दू संख्या–1 में विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी कन्हैयालाल की खातेदारी की आराजी थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आदेश अथवा दस्तावेज के पूना के नाम अंकित किया गया था। ऐसी स्थिति में इस अंकन के आधार पर किया गया बैचान वास्तविक खातेदार के अधिकारों पर प्रभाव नहीं रख सकता क्योंकि पूना अथवा उसके वारिसान द्वारा किया गया बैचान अधिकारविहीन था और ऐसे अधिकारविहीन बैचान को अधिकार रखने

वाले खातेदार के विरूद्ध प्रभाव शून्य घोषित करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.9. 2000 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

11. अतः अपील अपीलांटस संख्या 291/2015/223 (2015/00145) बउनवान भंवरलाल बनाम गोविन्द दास एवं अपील संख्या 292/2015/223 (2015/00146) बउनवान भंवरलाल बनाम गोविन्द दास को खारिज किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 123/1996 एवं वाद संख्या 65/1995 में पारित निर्णय दिनांक 30.9.2000 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर